

## राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/ए-24/2019/ दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जयपुर-प्रथम।

विषय:- श्रीमती अर्चना वर्मा, नर्स-2 के परिवीक्षाधीन अवधि में अनुपस्थित  
बाबत ।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 444 दिनांक 26.02.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती अर्चना वर्मा, नर्स-2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालाडेरा, जयपुर का असाधारण अवकाश स्वीकृत सम्बन्धी प्रकरण में लेख है कि कार्मिका को प्रोबेशन अवधि में चिकित्सा अवकाश देय नहीं है, इतने समय तक अनुपस्थित रहने पर पर आप द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध स्पष्टीकरण केवल प्रारम्भ में ही चाहा गया है जबकि कर्मचारी दिनांक 15.06.16 से 29.08.16 (76 दिवस), दिनांक 04.04.2017 से 18.04.2017 (15 दिवस), दिनांक 20.04.2017 से 01.05.2017 (12 दिवस) एवं दिनांक 09.07.2017 से 23.07.2017 तक (15 दिवस) अनुपस्थित रही है।

आप द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही क्यों नहीं की गई। सम्बन्धी जानकारी से निदेशालय को अवगत करावें ताकि कार्मिका का अवकाश प्रकरण निस्तारण हेतु प्रशासनिक विभाग को गिजवाया जा सके।

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/ए-24/2019/ 829

दिनांक:- 11/6/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 2- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर